प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **28-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- दहेज के लिए प्रताडित कर हत्या करने के अभियोग में वांछित/नामित आरोपी को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 21-06-2025 को वादी महबूब शाह पुत्र शफी शाह निवासी गजरौला जयसिंह थाना डिलारी मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित कर मारपीट करने व दहेज की मांग करने व मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री की गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 247/2025 धारा- 85/115(2)/80(2) बी0एन0एस0 व 3 /4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 28-06-2025 को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा आरोपी हनीफ शाह पुत्र बुन्दू शाह निवासी ग्राम फरीदनगर थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः-

हनीफ शाह पुत्र बुन्दू शाह निवासी ग्राम फरीदनगर थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 मनीष कुमार,

का0 राजू कुमार

2- थाना बिलारी पुलिस ने एक वारंटी को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण व वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 28.06.2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा एक वारंटी रामबाबू पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी मौ0 कच्चा कटरा आंवला थाना आंवला जनपद बरेली को सम्बन्धित मुकदमा न0- 589/12 धारा 394/307 भादवि व 83/83 सीआरपीसी 2. मुकदमा न0-590/12 अ0सं0 74/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ0नि0 यशवीर सिंह

का0 धर्मेन्द्र

3-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 33 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय **पुलिस द्वारा 33 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना कटघर-05, थाना कोतवाली नगर-03, थाना सोनकपुर-02, थाना भगतपुर- 02, थाना छजलैट-03, थाना पाकबड़ा-02, थाना मझोला-02, थाना बिलारी-04, थाना मैनाठेर-08, थाना कांठ-02,